

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 97/2024

वादीगण-

1. रामप्रसाद पुत्र श्री गेनाराम
जाति-जाट, निवासी-जायल, तहसील- जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामकैलाश पुत्र गेनाराम
2. रामरतन पुत्र गेनाराम
3. भंवरी पत्नी गेनाराम
जातियान-जाट, निवासीगण-जायल, तहसील-जायल, नागौर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा जायल सम्बत् 2073-2076 के खाता संख्या 1193 एवं 1246 की भूमि के मुतदाविया खेतियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य बंटवाडा माफिक वाद पत्र किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामप्रसाद के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 626 रकबा 2.6709 हैक्टैयर में से 0.0648 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार एवं मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 618 रकबा 1.7644 हैक्टैयर में से 1.2222 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 227 रकबा 1.1574 हैक्टैयर सम्पूर्ण तथा खसरा नंबर 252 रकबा 1.9182 हैक्टैयर सम्पूर्ण हक में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामकैलाश के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 626 रकबा 2.6709 हैक्टैयर में से 0.7203 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार एवं मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 627 रकबा 1.2464 हैक्टैयर में से 0.3966 हैक्टैयर माफिक

नजरीनकशानुसार तथा मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 618 रकबा 1.7644 हैक्टेयर में से 0.5422 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 691/1 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से 0.6232 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार हक बंट रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

3. प्रतिवादी संख्या 2 समस्तन के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 626 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में से 1.8858 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार एवं मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 627 रकबा 1.2464 हैक्टेयर में से 0.8498 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. शेष खाता यथावत/बदस्तुर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के रखा जाता है।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
6. नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. डोली भूमि से प्रभावित खसरान् के यथावत डोली भूमि नोट खाते में रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिग - वावत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक - की अदा करें। ववक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवृत			वजह सवृत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत् इजराज हुक्मनामा			वावत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)